(481)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२०१८ निगरानी
निगरानी- 3192/2018/भिण्ड/भू.रा.

श्री एस० के० अवस्थी, अभि० द्वारा आज दि० 21-5-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 7-6-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 21-5-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

इन्द्रजीत सिंह पुत्र श्री शिवचरण सिंह,
निवासी- ग्राम खेराट, तहसील अटेर जिला भिण्ड-मध्यप्रदेश ।

------- प्रार्थी

विरुध्द

१- विष्णु सिंह पुत्र मानसिंह,
२- राम प्रकाश पुत्र विक्रम सिंह,
३- देवी सिंह वेवा राम सुन्दर सिंह,
समस्त निवासीगण- ग्राम खेराट, तहसील अटेर, जिला भिण्ड-मध्यप्रदेश ।

----- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी विरुध्द आदेश एस०डी०ओ० महोदय अटेर, जिला भिण्ड, दिनांकी ३-५-२०१८, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९। प्र०क्र० ३६।२०१७-१८ अपील माल ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:-

१- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एंव कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यहकि, एस०डी०ओ० महोदय के समक्ष प्रस्तुत अपील में विलम्ब क्षमा का न तो कोई समुचित कारण ही बताया गया है और न कोई समाधानकारक कारण उल्लेखित है, ऐसी स्थिति में विलम्ब क्षमा किये जाने का आदेश पारित किये जाने में भूल की गई है ।

४- यह कि, विलम्ब क्षमा के सम्बन्ध में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत

XXIX(a)-BR(H)-11

(481)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3192/2018/भिण्ड/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25-5-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	